

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 160]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

केविविआ (विद्युत विनियम का क्रॉस बार्डर व्यापार), 2019

सं.13/2/7/2015—पीएम/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 66 के साथ पठित धारा 178 के उपबंधों और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विद्युत के आयात और निर्यात संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बॉर्डर व्यापार) विनियम, 2019 है।
- (2) यह विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (ख) टाइम ब्लॉक में 'वास्तविक निकासी' से इनटरफेस मीटरों से परिमापित क्रेता इकाई द्वारा अभिप्राप्त विद्युत अभिप्रेत है;
 - (ग) टाइम ब्लॉक में 'वास्तविक अंतःक्षेपण' से इनटरफेस मीटरों द्वारा परिमापित विक्रय इकाई द्वारा अंतःक्षेपित विद्युत अभिप्रेत है:
 - (घ) 'पहुंच बैंक गारंटी या एबीजी' से ऐसी बैंक गारंटी अभिप्रेत है जिसे आवेदक को विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए भारतीय ग्रिड में दीर्घकालिक पहुंच की मांग करते समय प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और इसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत

2438 GI/2019 (1)

किए जाने के लिए अपेक्षित बैंक गारंटी भी सिम्मिलित होगी यदि भारत में पारेषण प्रणाली की अभिवृद्धि के लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करना अपेक्षित है;

- (ङ) 'आवेदक' से पड़ोसी देश में अवस्थित ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों में यथापरिभाषित सहभागिता करने वाली इकाई के रूप में मान्यता दी गई है:
- (च) 'उपलब्ध पारेषण क्षमता' या 'एटीसी' से, नेटवर्क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट दिशा में क्रॉस बार्डर संव्यवहारों (दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से) अनुसूचीकरण के लिए उपलब्ध अंतर नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली के, मेगावाट में, अंतरण क्षमता अभिप्रेत है;
- (छ) 'क्रय इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसे दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है और जो इन विनियमों के अनुसार विद्युत का क्रय कर रही है;
- (ज) 'केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण' या 'सीईए' से अधिनियम की धारा 70 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (झ) 'केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता' या 'सीटीयू' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) में यथापरिभाषित केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता अभिप्रेत है;
- (ञ) 'आयोग' या 'केविविआ' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है:
- (ट) 'सक्षम प्राधिकारी' से पड़ोसी देश का प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसके पास भारत के साथ विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार से संबंधित मामलों पर अनुमोदन (अनुमोदनों) प्रदान करने की शक्ति निहित है;
- (ठ) **'संयोजन करार'** से विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के दौरान भारतीय ग्रिड से संयोजन की तकनीकी शर्तों को परिभाषित करने वाला करार अभिप्रेत है**;**
- (ड) 'संयोजकता' से विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के प्रयोजन के लिए भारतीय ग्रिड से संबद्ध स्थिति अभिप्रेत है;
- (ढ) 'संयोजकता विनियम' से समय—समय पर यथासंशोधित विनियमन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 या उसकी पुनः अधिनियमित अभिप्रेत है;
- (ण) 'संविदा निष्पादन गारंटी' से पारेषण सेवा करार के अनुसार दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अप्रतिसंहार्य, बिना शर्त और परिक्रामी बैंक गारंटी अभिप्रेत है;
- (त) 'नियंत्रण क्षेत्र' से अंतर संयोजन (टाईम लाइन), मीटरिंग और टेलीमीटरी द्वारा ऐसी आबद्ध विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है जो अन्य क्षेत्रों के साथ जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो अंतःपरिवर्तन अनुसूची के रखरखाव के लिए क्षेत्र के अंदर उत्पादन और / या भार को नियंत्रित करती है और समकालिक रूप में प्रचालन कार्य प्रणाली के फ्रिक्वेंसी विनियम में योगदान करती है। भारतीय ग्रिड के साथ अंतरसंयोजित प्रत्येक पड़ोसी देश पृथक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में माना जाएगा;
- (थ) 'विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार' से भारत और किसी पड़ोसी राज्यों के बीच विद्युत के आयात या निर्यात में अंतर्वलित संव्यवहार अभिप्रेत है और इसमें त्रिपक्षीय करारों के अनुसार पड़ोसी देशों में अंतर्वलित भारत के बाहर संव्यवहार भी शामिल होंगे:
- (द) 'क्रास बार्डर ग्राहक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए यथास्थिति, दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्वाध पहुंच या अल्पकालिक निर्वाध पहुंच प्रदान की गई है;
- (ध) 'क्रॉस बार्डर पारेषण लिंक' या 'सीबीटीएल' से पड़ोसी देश के पूलिंग स्टेशन तक, जिसे किसी पड़ोसी देशों के पारेषण योजना एजेंसी से परामर्श करते हुए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भारत के भीतर पूलिंग स्टेशन से पारेषण लिंक अभिप्रेत है और इसमें भारतीय ग्रिड से संबद्ध होने वाले पड़ोसी देश के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित उत्पादन केन्द्र से समर्पित पारेषण लाइन भी शामिल होगी;
- (न) 'डाटा अधिग्रहण प्रणाली' या 'डीएएस' से विशेष स्थान पर रिले, उपकरणों प्रणाली पैरामीटरों के समय से प्रचालन के क्रम को अभिलिखित करने के लिए डिजाइन की गई युक्ति अभिप्रेत है;
- (प) 'समर्पित पारेषण प्रणाली' से भारतीय ग्रिड में विनिर्दिष्ट स्थान के लिए पड़ोसी देश में अवस्थित उत्पादन केन्द्र से विद्युत पारेषण करने के लिए सहभागी इकाई द्वारा विकसित पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है;
- (फ) 'पदाभिहित प्राधिकरण' या 'डीए' से मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

- (ब) विक्रेता के लिए टाइमब्लाक में 'विचलन' से इसका कुल वास्तविक अंतक्षेपण घटा इसका कुल अनुसूचित अंतःक्षेपण अभिप्रेत है और क्रेता के लिए इसका कुल अनुसूचित निकासी घटा इसका कुल वास्तविक निकासी अभिप्रेत है और इसे अंतरसंयोजन स्थान पर संगणित किया जाएगा;
- (भ) **'डीएसएम विनियम'** से, समय—समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 या उसकी कोई पश्चातुवर्ती पुनः अधिनियमिति अभिप्रेत है**;**
- (म) **'इकाई'** से, भारत के या किसी पड़ोसी देशों की ऐसी कंपनी या प्राधिकरण या बोर्ड या स्वायत्त निकाय, कार्पोरेट या न्यायिक व्यक्ति अभिप्रेत है जो विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार में सहभागिता का प्रस्ताव करता है;
- (य) **'ग्रिंड कोड**' से, समय—समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिंड कोड) विनियम, 2010 या उसकी पुनःअधिनियमिति अभिप्रेत हैं**;**
- (कक) 'मार्गदर्शक सिद्धांत' से समय-समय पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार या आयात / निर्यात (क्रॉस बार्डर) संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है;
- (खख) **'भारतीय ग्रिंड'** से, यथास्थिति, अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) या अंतःराज्यिक पारेषण प्रणली (इन–एसटीएस) या दोनों, अभिप्रेत है**;**
- (गग) **'इंटरफेस मीटर'** से, समय समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का स्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार विशेष ऊर्जा मीटर अभिप्रेत है;
- (घघ) 'अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली' और "अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली' का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (36) और (37) में है;
- (ङङ) 'अंतरसंबद्ध प्वाइंट' से भारत और किसी पड़ोसी राज्य के बीच विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार की अविध में विद्युत की अनुसूचीकरण, मीटरिंग, लेखांकन और बिलिंग के प्रयोजन के लिए भारत के क्षेत्र के भीतर अवस्थित अंतरसंबद्ध का स्थान अभिप्रेत है:
- (चच) 'दीर्घकालिक पहुंच' से 7 वर्ष या उससे अधिक की अविध के लिए भारत की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग का अधिकार अभिप्रेत है;
- (छछ) 'दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार' से 7 वर्ष या उससे अधिक की अविध के लिए विद्युत क्रय करार अभिप्रेत है;
- (जज) 'मध्यकालिक निर्बाध पहुंच' से तीन मास से अधिक किन्तु 5 वर्षों से अनिधक अविध के लिए भारत की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग का अधिकार अभिप्रेत है;
- (झझ) 'मध्यकालिक विद्युत क्रय करार' से एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विद्युत क्रय करार अभिप्रेत है;
- (ञञ) 'राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र' या 'एनएलडीसी' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (45) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;
- (टट) **भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर 'निर्बाध पहुंच'** का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (47) के अधीन यथा परिभाषित है:
- (ठठ) 'सहभागिता इकाई' से भारत और किसी पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के प्रयोजन के लिए पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इकाई या ऐसी कोई अन्य इकाई अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार और किसी पड़ोसी देशों की सरकार के बीच द्विपक्षीय करार के माध्यम से विद्युत के आयात या निर्यात के लिए भारत सरकार द्वारा पदाभिहित किया गया है:
- (ङड) 'प्वाइंट आफ कनेक्शन प्रभार' या ''पीओसी प्रभार' से, समय—समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की भागीदारी) विनियम, 2010 के अधीन यथाविर्निष्ट प्वाइंट आफ कनेक्शन प्रभारित करने वाली पद्धति का प्रयोग करते हुए, अवधारित नोडल या अंचल प्रभार अभिप्रेत है;
- (ढढ) 'पूलिंग स्टेशन' से उसी या विभिन्न वोल्टेज की दो या उससे अधिक पारेषण लाइनों का इन्टरफेस करने वाले उपकेन्द्र अभिप्रेत है;
- (णण) **'विद्युत बाजार विनियम'** से, समय—समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 या उसकी कोई पुनः अधिनियमिति अभिप्रेत है**;**
- (तत) 'प्रादेशिक विद्युत समिति' या 'आरपीसी' से, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (55) में यथापरिभाषित समिति अभिप्रेत है;

- (थथ) किसी समय या टाइम ब्लॉक (ब्लॉकों) के लिए 'अनुसूचित निकासी' से संबंधित प्रणाली प्रचालक द्वारा दी गई मेगावाट या मेगावाट घण्टे में निकासी की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (दद) किसी समय पर या टाइम ब्लॉक (ब्लॉकों) के लिए 'अनुसूचित उत्पादन' से संबंधित प्रणाली प्रचालक द्वारा दी गई मेगावाट या मेगावाट घण्टे में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (धघ) 'विक्रय इकाई' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसे दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है और जो इन विनियमों के अनुसार विद्युत का विक्रय कर रही है;
- (नन) 'व्यवस्थापन नोडल एजेंसी' या 'एसएनए' से ग्रिड प्रचालन से संबंधित प्रभारों के निपटान के लिए प्रत्येक पड़ोसी देश के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यथाअधिसूचित नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;
- (पप) 'शेयरिंग विनियम' से समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 यह उसका पुनः अधिनियमन अभिप्रेत है ;
- (फफ) 'अल्पकालिक निर्बाध पहुंच' से एक समय पर एक मास तक की अवधि के लिए निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है;
- (बब) 'अल्पकालिक निर्बाध पहुंच विनियम' से समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 और उसका पुनः अधिनियमन अभिप्रेत है;
- (भभ) 'अल्पकालिक विद्युत क्रय करार' से एक वर्ष से कम की अवधि के लिए विद्युत क्रय करार अभिप्रेत है;
- (मम) 'प्रणाली प्रचालक' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मुख्य कृत्यों का निर्वहन करेगी:
 - (i) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट ग्रिंड मानकों के अनुसार क्रांस बार्डर पारेषण लिंक में विद्युत का अनुसूचीकरण और प्रेषण।
 - (ii) संबंधित पड़ोसी देश के साथ क्रास बार्डर पारेषण लिंक के प्रचालन और ग्रिड स्रक्षा की मॉनिटरिंग।
 - (iii) अंतर-प्रादेशिक और / या क्रॉस बार्डर पारेषण लिंक पर ऐसा पर्यवेक्षण और निंयत्रण, जो संबंधित पड़ोसी देश में प्रणाली प्रचालन के लिए उत्तरदायी एजेंसी के साथ समन्वयन में विद्युत प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो।
 - (iv) कोई ऐसे अन्य कृत्य, जो आयोग द्वारा ग्रिड सुरक्षा के हित में निर्दिष्ट किए जाए।
- (यय) 'समय ब्लॉक' से 15 मिनट या ऐसी कोई अन्य अवधि अभिप्रेत है जिसे दिन के 00:00 घण्टे पर आरंभ करते हुए, प्रथम टाइम ब्लॉक के साथ विशेष ऊर्जा मीटरों द्वारा मात्रा और विनिर्दिष्ट पैरामीटरों की रिकॉर्डिंग के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (रर) 'कुल अंतरण क्षमता' या 'टीटीसी' से ऐसी विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है जिसे खराब प्रत्यय आकस्मिकता की पुनरावृत्ति के प्रभाव पर विचार करते हुए, प्रचालन स्थितियों के अधीन अंतर नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणालियों पर विश्वसनीय रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है:
- (लल) 'पारेषण योजना एजेंसी' या 'टीपीए' से इन विनियमों के विनियम 4 (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट भारत या पडोसी देश के लिए योजना एजेंसी अभिप्रेत है;
- (वव) 'पारेषण विश्वसनीयता मार्जिन' या 'टीआरएम' से प्रणाली स्थितियों में अनिश्चितताओं के उचित रेंज के अंतर्गत क्रास बार्डर पारेषण लिंक के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुल अंतरण क्षमता में सम्मिलित किया गया मार्जिन अभिप्रेत है:
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या संयोजकता विनियमों या एसटीओ विनियमों या ग्रिडकोड या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य विनियमों में परिभाषित है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या संयोजकता विनियम या एसटीओए विनियम या ग्रिडकोड या समय—समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य विनियम में है।

अध्याय-2

सामान्य उपबंध

3. कार्य क्षेत्र

(1) ये विनियम भारत में और पड़ोसी देशों में सहभागिता करने वाली ऐसी इकाइयों को लागू होंगे जो भारत में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार में लगे हुए हैं:

परंतु यह कि भारत में स्थित ऐसी इकाइयां, जो भारत तथा किसी पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के

दौरान भारतीय ग्रिंड के लिए संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच चाहते हैं, संयोजकता विनियमों और एसटीओए विनियमों द्वारा शासित निरंतर होंगे।

- (2) भारत और पड़ोसी देश (देशों) के बीच विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार संबंधित देश (देशों) में अभिभावी कानूनों के उपबंधों के सुसंगत भारत और पड़ोसी (देशों) के बीच हस्ताक्षरित करारों के संपूर्ण फ्रेमवर्क के अधीन भारतीय इकाई (इकाइयों) तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से/अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) दो देशों के बीच द्विपक्षीय करारों के माध्यम से;
 - (ii) बोली के माध्यम से; या
 - (iii) इकाइयों के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से; या :

परंतु यह कि त्रिपक्षीय करारों की दशा में, संपूर्ण भारत में विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार को भारत सरकार तथा सहभागिता करने वाली इकाइयों से संबंधित पड़ोसी देशों की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के संपूर्ण फ्रेमवर्कों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, किसी करार के अधीन पड़ोसी देश (देशों) के साथ विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए किए गए या लिए गए या की गई किसी कार्रवाई को इन विनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा और उक्त करारों की समय अविध समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा।

4. सांस्थानिक फ्रेमवर्क

- (1) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाभिहित प्राधिकारी अनुमोदन की प्रक्रिया को सुकुर बनाने और विद्युत के आयात तथा निर्यात के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पदाभिहित प्राधिकारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में वर्णित सभी प्रयोजनों के लिए संबंधित पड़ोसी देश द्वारा पदाभिहित किसी भी प्राधिकारी के साथ समन्वय करेगा।
- (2) पारेषण योजना एजेंसी, विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार को सुकुर बनाने के प्रयोजन के लिए पारेषण प्रणाली की योजना के लिए उत्तरदायी होगी और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित पड़ोसी देश की पारेषण योजना एजेंसी के साथ समन्वय करेगा। भारत के लिए इस कार्य का निवर्हन पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के दौरान, विश्विष्टतया, देश के साथ संव्यवहारों से संबद्ध विचलन एवं अन्य प्रभारों के लिए प्रभार, प्रचालन प्रभारों सिहत ग्रिड प्रचालनों से संबंधित सभी प्रभारों को निपटाने के लिए उत्तरदायी होगी। व्यवस्थापन नोडल एजेंसी किसी पड़ोसी देश के साथ संयोजकता वाले क्षेत्र के पूल खाते में तत्स्थानी प्रभारों के निपटान और भुगतान के लिए विचलन पूल, रिएक्टिव ऊर्जा पूल तथा अन्य विनियामक पूलों का सदस्य होगा।
- (4) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के लिए प्रणाली प्रचालक के रूप में कार्य करेगा और शेयरिंग विनियमों के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए तथा अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यहारों के लिए पारेषण प्रभारों के बिलिंग, वसूली एवं संवितरण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता भारत और पड़ोसी राज्यों के बीच विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार की बाबत दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए और शेयरिंग विनियमों के अनुसार, पारेषण प्रभारों की बिलिंग, वसूली और संवितरण के लिए उत्तरदायी होगी।

टैरिफ अवधारण

(1) भारतीय इकाइयों द्वारा विद्युत के आयात के लिए टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन समय–समय पर अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से या भारतीय ग्रिड के माध्यम से विद्युत की पारेषण या बिलिंग के लिए लागू प्रभारों के भुगतान के अधीन रहते हुए, भारत तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच हस्ताक्षरित करारों के संपूर्ण फ्रेमवर्क के अधीन संबंधित पड़ोसी देश की क्रय भारतीय इकाई और विक्रय इकाई के बीच पारस्परिक करार के माध्यम से किया जाएगा:

परंतु यह कि किसी पड़ोसी देशों में अवस्थित हाइड्रो उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत के आयात की दशा में, उसका टैरिफ आयोग द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुसार अवधारित किया जाएगा, यदि हाइड्रो उत्पादक पड़ोसी देश की सरकार के माध्यम से, आयोग को संपर्क करता है और क्रेता भारतीय इकाई (इकाइयों) इससे सहमत होती हैं।

(2) दीर्घकालिक या मध्यकालिक या अल्पकालिक करारों के माध्यम से भारतीय इकाइयों द्वारा पड़ोसी देश की इकाइयों को विद्युत के निर्यात के लिए टैरिफ, भारतीय ग्रिंड के माध्यम से विद्युत की पारेषण या बिलिंग के लिए लागू प्रभारों के भुगतान के अधीन रहते हुए, भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षरित करारों को संपूर्ण फ्रेमवर्क के अधीन पारस्परिक रूप से तय किया जा सकेगा या तो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से तय किया जाएगा।

(3) जहां विद्युत के आयात और निर्यात के लिए टैरिफ, दो देशों की सहभागिता इकाइयों को शामिल करते हुए भारत सरकार और किसी पड़ोसी देश की सरकार के बीच पारस्परिक रूप से तय होता है, तो वह अंतिम होगा :

परंतु यह कि सरकारी स्तर पर, जिसमें अंतर—सरकारी करार भी है, बातचीत द्वारा पहले ही अवधारित विद्युत के आयात तथा निर्यात के लिए टैरिफ करार की समाप्ति तक सरकारी स्तर पर बातचीत के माध्यम से निरंतर अवधारित रहेगा या जैसा दो सरकारों द्वारा विनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से टैरिफ का अवधारण भी शामिल है .

परंतु यह कि करार की अवधि समाप्त हो जाने पर, यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो टैरिफ प्रतिस्पर्धात्मक की बोली की प्रक्रिया या पारस्परिक करारों या सरकार दर सरकार बातचीत के माध्यम से अवधारित किया जा सकेगा।

(4) भारतीय सीमा तक भारत के भीतर पूलिंग स्टेशन से क्रास बार्डर पारेषण लिंक के लिए टैरिफ का अवधारण प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से या सरकार दर सरकार बातचीत के माध्यम से या आयोग द्वारा किया जा सकेगा।

भारतीय पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार

भारत का कोई भी विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, पदाभिहित प्राधिकारी से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, आयोग के लागू विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन अनुमोदन में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए पड़ोसी देश की किसी सहभागी इकाई की ओर से भारतीय पावर एक्सचेंजों में व्यापार कर सकता है।

अध्याय-3

पारेषण योजना, संयोजकता और पहुंच

7. क्रास बार्डर पारेषण लिंक की योजना और कार्यान्वयन

- (1) भारत और किसी पड़ोसी देश के बीच क्रास बार्डर पारेषण लिंक की योजना भारत और पड़ोसी देश के बीच विद्युत व्यापार के लिए भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संबंधित सरकारों के अनुमोदन से दो देशों की पारेषण योजना एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाएगी।
- (2) भारतीय सीमा तक भारत के भीतर पूंलिंग स्टेशन और कार्यान्वयन अभिकरण के बीच क्रांस बार्डर पारेषण लिंक के कार्यान्वयन की रीति भारत सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी:
 - परंतु यह कि ऐसी भागीदारी इकाई, जिसका पड़ोसी देश में उत्पादन केन्द्र अवस्थित है, संबंधित देशों से सभी आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपनी लागत पर उत्पादन केन्द्र से भारत के भीतर पूलिंग स्टेशन तक में समर्पित पारेषण प्रणाली को विकसित, उसका प्रचालन और रखरखाव कर सकेगा।
- (3) भारत की पारेषण योजना एजेंसी पड़ोसी देश की पारेषण योजना अभिकरण के साथ परामर्श करके विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए क्रास बार्डर पारेषण लिंक के उपयोग के लिए सहभागिता करने वाली इकाइयों को पहुंच प्रदान करेगी।
- (4) क्रॉस बार्डर पारेषण लिंक भागीदारी विनियमों के अधीन पीओसी प्रभारों का अवधारण करने के लिए मूलभूत आईएसटीएस नेटवर्क का भाग नहीं होगा।
- (5) विनियम 5 के खण्ड(4) के निबंधनानुसार यथाअवधारित भारत के भीतर पूलिंग स्टेशन से भारतीय सीमा तक क्रॉस बार्डर पारेषण लिंक (लिंकों) के लिए टैरिफ आवेदक(आवेदकों) द्वारा संदेय होगा।

8. संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए सामान्य उपबंध

- (1) पड़ोसी देश में अवस्थित सहभागिता इकाई को पृथक् आवेदनों के माध्यम से, यथास्थिति, संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मांग करना अपेक्षित होगा।
- (2) संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन सीटीयू को किए जाएंगे और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों के अधीन एनएलडीसी को किए जाएंगे।
- (3) इन विनियमों में विशेष रूप से उपबंधित के सिवाय एसटीओए विनियम और संयोजकता विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंध विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए सहभागिता इकाइयों को यथापरिवर्तन सहित लागू होंगे।

9. आवेदन फीस

संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन भारतीय रुपयों में अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ निम्नानुसार भेजे जाएंगे और वे सीटीयू द्वारा अधिकथित रीति और नाम में प्रतिदेय होंगे।

क्र .	आईएसटीएस से/में ली गई/अंतःक्षेपित की जाने वाली विद्युत की मात्रा	आवेदन फीस (रुपये लाख में)	
सं.		संयोजकता/दीर्घकालिक पहुंच के लिए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए
1.	100 मेगावाट तक	4	2
2.	100 मेगावाट से अधिक और 500 मेगाावाट तक	6	4
3.	500 मेगावाट से अधिक और 1000 मेगाावाट तक	12	6
4.	1000 मेगावाट से अधिक	18	8

- (2) इन विनियमों के विनियम 15 के खण्ड(1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पहुंच बैंक गारंटी दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन सिंहत सहभागिता इकाइयों द्वारा जमा की जाएगी।
- (3) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदनों के लिए फीस एसटीओए विनियमों के अधीन जारी की गई प्रक्रिया के अनुसार अधिशासित होगी।

10. संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन

- (1) भारत के भीतर या सीमा पार क्रास बार्डर व्यापार के लिए समर्पित पारेषण प्रणालियों के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जुड़ने वाली भागीदारी इकाई को भारतीय ग्रिड में संयोजकता के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- (2) उक्त खंड (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सहभागिता इकाई भारतीय ग्रिड में संयोजकता प्रदान करने के लिए सीटीयू को आवेदन करेगी। संयोजकता विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा आवेदक निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:
 - (क) विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए सहभागी इकाई की पात्रता के संबंध में पदाभिहित प्राधिकारी से अनुमोदन या अंतर सरकार करार की प्रति, जहां उपलब्ध हो; और
 - (ख) समर्पित पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन;
- (3) आवेदन की प्राप्ति पर, सीटीयू आवेदन पर कार्यवाही करेगा और संयोजकता विनियमों के अधीन विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संयोजकता प्रदान करेगा। सीटीयू आवेदन पर कार्यवाही करते समय, पड़ोसी देशों की पारेषण योजना एजेंसी(एजेंसियों) से परामर्श और समन्वय करेगा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड में संयोजकता के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम, 2007 में यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक अंतर—संयोजन अध्ययन पूरा करेगा।
- (4) संयोजकता प्रदान करने पर, आवेदक सीटीयू के साथ संयोजकता करार पर हस्ताक्षर करेगा :
 - परंतु यह कि यदि संयोजकता सीटीयू से भिन्न अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को प्रदान की जाती है तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिंड में संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में यथा उपबंधित करार पर आवेदक, सीटीयू और ऐसी अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (5) आवेदक को संयोजकता की स्वीकृति भारतीय ग्रिड के साथ किसी ऊर्जा के अंतपरिवर्तन के लिए पात्र नहीं बनाएगी जब तक कि वह विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अभिप्राप्त नहीं कर लेता है।
- (6) पड़ोसी देश में अवस्थित और क्रास बार्डर पारेषण लिंक के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जुड़ी सहभागिता इकाई को भारतीय ग्रिड में संयोजकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन

- (1) भारतीय ग्रिड में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच तथा विद्युत के क्रांस बार्डर व्यापार के लिए पूरे भारतीय ग्रिड के लिए आवेदन इन विनियमों के अधीन एनएलडीसी को किया जाएगा।
- (2) भारतीय ग्रिंड में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने संबंधी एसटीओए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा, आवेदक निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:
 - (क) विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए सहभागी इकाई की पात्रता के संबंध में पदाभिहित प्राधिकारी से अनुमोदन या अंतर भारतीय करार की प्रति, जहां उपलब्ध हो; और
 - (ख) क्रास बार्डर पारेषण लिंक (लिंकों) के उपयोग के लिए भारत में पदाभिहित प्राधिकारी से और पड़ोसी देश (देशों) के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन, यदि संयोजकता समर्पित पारेषण लाइनों के माध्यम से नहीं है।
- (3) एनएलडीसी आवेदन पर कार्यवाही करेगा और एसटीओए विनियमों के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के अनुसर अल्पकालिक

निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।

12. दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन

- (1) दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच तथा विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए संपूर्ण भारतीय ग्रिड के लिए आवेदन सीटीयू को किया जाएगा।
- (2) भारतीय ग्रिंड में दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए संयोजकता विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा, आवेदक निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:
 - (क) विद्युत के क्रांस बार्डर व्यापार के लिए सहभागी इकाई की पात्रता के संबंध में पदाभिहित प्राधिकारी से अनुमोदन या अंतर भारतीय करार की प्रति, जहां उपलब्ध हो; और
 - (ख) क्रास बार्डर पारेषण लिंक (लिंकों) के उपयोग के लिए भारत में पदाभिहित प्राधिकारी से और पड़ोसी देश (देशों) में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन, यदि संयोजकता समर्पित पारेषण लाइनों के माध्यम से नहीं है।
 - (ग) दीर्घकालिक पहुंच के लिए विनियम 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पहुंच बैंक गारंटी।
- (3) सीटीयू आवेदन पर कार्यवाही करेगा और इसमें विनिर्दिष्ट उपबंधों के सिवाय, संयोजकता विनियमों के अधीन अधिसूचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, दीर्घकालिक पहुंच या भारतीय ग्रिड या पूरे भारतीय ग्रिड में दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।
- (4) विद्युत के क्रास बार्डर के लिए दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने पर आवेदक सीटीयू के साथ, यथास्थिति, दीर्घकालिक निर्बाध करार या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें, यथास्थिति, दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, के आंरभ की तारीख, भारतीय ग्रिड में विद्युत का अंतःक्षेपण स्थान तथा भारतीय ग्रिड से निकासी स्थान अंतर्विष्ट होंगे :
 - परंतु यह कि यदि दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सीटीयू से भिन्न अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली को प्रदान की जाती है तो सीटीयू और ऐसी अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी करार पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (5) दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली संवर्धन, यदि कोई है, का कार्यान्वयन आवेदक द्वारा केवल विनियम 15 के खण्ड(2) के अधीन विनिर्दिष्ट पहुंच बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।
- (6) जहां दो पड़ोसी देशों को शामिल करते हुए पूरे भारत में संव्यवहारों के लिए त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित किया जाता है वहां भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में विद्युत के पारेषण के लिए भारत में पारेषण प्रणाली का संवर्धन भारत सरकार और आयोग से अनुमोदन अभिप्राप्त करने और आवेदक द्वारा विनियम 15 के खण्ड(2) के अधीन, यथाविनिर्दिष्ट पहुंच बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा।

13. दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन पर कार्यवाही करने की समय सीमा

- (1) सीटीयू माह की अंतिम तारीख से, जिसमें आवेदन किया गया है, 120 दिनों के भीतर भारतीय ग्रिड में पारेषण प्रणाली की संवर्धन की अपेक्षा करते हुए, इन विनियमों के अधीन किए गए दीर्घकालिक पहुंच आवेदनों पर कार्यवाही करेगा।
- (2) जहां पारेषण प्रणाली की अभिवृद्धि अपेक्षित नहीं है वहां दीर्घकालिक पहुंच आवेदन पर, उस माह की अंतिम तारीख से, जिसमें आवेदन किया गया है, 90 दिनों के भीतर कार्यवाही की जाएगी।
- (3) सीटीयू उस माह की अंतिम तारीख से, जिसमें आवेदन किया गया है, 40 दिनों के भीतर इन विनियमों के अधीन किए गए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच आवेदनों पर कार्यवाही करेगा।

14. पारेषण प्रणाली और उत्पादन परियोजनाओं में विलंब के उपचार

- (1) पदाभिहित प्राधिकारी नियमित अंतराल पर भारत के सीटीयू, पड़ोसी देश(देशों) की पारेषण योजना एजेंसी(एजेंसियों) तथा उत्पादन केन्द्र के विकासकर्ता के परामर्श और समन्वय से विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए विद्युत के प्रवहण के लिए पारेषण प्रणाली सहित पड़ोसी देश में उत्पादन केन्द्र, जिसमें उसकी यूनिट भी है, की प्रगति को मॉनिटर करेगा।
- (2) पड़ोसी देश, कार्यान्वयन एजेंसी(एजेंसियों) तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी(अनुज्ञप्तिधारियों) में अवस्थित उत्पादन कंपनी यथासाध्य, एक समय—सीमा में क्रमशः, भारत के भीतर उत्पादन केन्द्र, क्रॉस बार्डर पारेषण लिंक(लिंकों) और पारेषण प्रणाली को आरंभ करने का प्रयास करेंगे।
- (3) दीर्घकालिक पारेषण पहुंच करार में तय अनुसूचित तारीख के परे पड़ोसी देश में उत्पादन केन्द्र या यूनिट(यूनिटों) तथा सहबद्ध समर्पित पारेषण प्रणाली को आरंभ करने में विलंब की दशा में, उत्पादक दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनीकरण की तारीख से पूर्ण पारेषण प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।
- (4) क्रास बार्डर पारेषण लिंक को आरंभ करने में विलंब की दशा में, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति यदि किसी उत्पादन कंपनी को या

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को या दोनों, संबंधित सरकारों द्वारा विनिष्टिचत किया जाएगा।

(5) भारत के अंदर पारेषण प्रणाली के आरंभ होने में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी अनुसूचित तारीख से आगे विलंब होने में और उत्पादन कंपनी द्वारा अपने उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट(यूनिटों) द्वारा तैयार होने की स्थिति में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आरंभ की गई उत्पादन क्षमता के अनुपात में उत्पादन कंपनी को, यदि सीटीयू द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा:

परंतु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन कंपनी को पारेषण प्रभारों का भुगतान न करने की दशा में, ऐसे प्रभारों की वसूली पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत संविदा कार्यनिष्पादन गारंटी से वसूले जाएंगे तथा सीटीयू द्वारा वसूल किए जाएंगे और उत्पादन कंपनी को संदत्त किए जाएंगे।

15. पहुंच बैंक गारंटी

- (1) विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए दीर्घकालिक पहुंच चाहने वाले आवेदक से मांगी गई दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा की तत्स्थानी 5 लाख रुपये / मेगावाट की रकम के लिए दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनीकरण की तारीख से 5 वर्षों के लिए वैध पहुंच बैंक गारंटी, आवेदन के साथ सीटीयू को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
- (2) यदि दीर्घकालिक पहुंच की स्वीकृति के लिए भारत में पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है तो सीटीयू उस मास, जिसमें आवेदन किया गया है, की तारीख से 90 दिनों के भीतर संवर्धन की लागत सूचित करेगा और आवेदक सीटीयू द्वारा संवर्धन की लागत की सूचना के एक मास के भीतर इस प्रकार के संवर्धन की लागत के समतुल्य रकम के लिए नई पहुंच बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगाः
 - परंतु यह कि उक्त के अनुसरण में पहुंच बैंक गारंटी की प्राप्ति पर, सीटीयू खण्ड 1 के अनुसार दी गई पहुंच बैंक गारंटी को वापस करेगा।
- (3) ऐसा क्रॉस बार्डर ग्राहक, जिसे दीर्घकालिक पहुंच प्रदान की गई है, सीटीयू से संपर्क कर सकता है और पारेषण अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए संविदा देने से पूर्व निर्गमन की अनुज्ञा में कर सकता है। इस प्रकार के सभी अनुरोधों पर विचार किया जाएगा और अनुरोध की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदक को निर्णय संसूचित किया जाएगा:
 - परंतु यह कि जहां निर्गमन की अनुमति दे दी जाती है, वहां सीटीयू यथास्थिति, खंड (1) या खंड (2) के निबंधनानुसार, पहुंच बैंक गारंटी से 20 लाख रुपये भुना सकता है और क्रास बार्डर ग्राहक को शेष रकम वापस कर सकता है।
- (4) यदि क्रॉस बार्डर ग्राहक पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए संविदा प्रदान करने के बाद और दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनीकरण से पूर्व, इन विनियमों के अधीन प्रदत्त पारेषण पहुंच छोड़ देता है तो सीटीयू पहुंच बैंक गारंटी को भुनाएगा।
- (5) यदि दीर्घकालिक पारेषण पहुंच करार समय सीमा से परे उत्पादन केन्द्र के आरंभ होने में विलंब होता है है और संबद्ध समर्पित पारेषण प्रणाली में तय है और दीर्घकालिक पहुंच को प्रचालनीकृत किया गया है तो पारेषण प्रभारों यदि विनियम 14 के खण्ड (3) में यथाप्रदत्त उत्पादक द्वारा अदा नहीं किया गया है को, यथास्थिति, उसे निर्बाध पहुंच बैंक गारंटी को भूनाकर सीटीयू द्वारा वसूल किया जाएगा।
- (6) यदि क्रास बार्डर ग्राहक दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनीकरण के बाद इन विनियमों के अधीन प्रदत्त पारेषण पहुंच का पिरत्याग करता है तो यथास्थिति, खंड (1) या खंड (2) के निबंधनानुसार प्रस्तुत पहुंच बैंक गारंटी को इस विनियम के खण्ड (7) के अध्यधीन सीटीयू द्वारा भुनाया जाएगा।
- (7) यथास्थिति, खण्ड(1) या खण्ड(2) के अनुसार प्रस्तुत पहुंच बैंक गारंटी की मात्रा में इसके कुल मूल्य के पांचवें हिस्से के तत्स्थानी दीर्घकालिक पहुंच के उपयोग के लिए आरंभ उत्पादन कंपनी के पश्चात् प्रत्येक वर्ष क्रमिक रूप से कमी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर, पहुंच बैंक गारंटी के मूल्य का पांचवा हिस्सा, चौथे वर्ष तक प्रत्येक वर्ष आवेदक को वापस किया जाएगा और पहुंच बैंक गारंटी का पांचवा हिस्सा परित्याग प्रभारों के लिए प्रतिभूति के रूप में दीर्घकालिक पहुंच के बारहवें वर्ष तक अवधारित रखा जाएगा। आवेदक, तदनुसार, पुनरीक्षित पहुंच बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

16. दीर्घकालिक पहुंच का प्रचालनीकरण

- (1) विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के लिए दीर्घकालिक पहुंच का प्रचालनीकरण दीर्घकालिक पारेषण पहुंच करार में निर्दिष्ट तारीख से या दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालनीकरण के लिए पारेषण प्रणाली की उपलब्धता से, जो भी हो बाद में हो, और पारेषण प्रभारों के भुगतान की देयता इस तारीख से आरंभ होगी।
- (2) जहां दीर्घकालिक पहुंच का प्रचालनीकरण, कुछ पारेषण लाइनों या प्रणालियों के आरंभ होने पर समाश्रित हों और केवल कुछ पारेषण लाइनें या घटक वाणिज्यिक प्रचालनों के अधीन घोषित किए गए हैं वहां उस सीमा तक दीर्घकालिक पहुंच, जिसे भारतीय ग्रिड की सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावित किए बिना प्रचालनीकृत किया जा सकता है, अनुमित दी जा सकती है जिसके लिए दीर्घकालिक पारेषण पहुंच ग्राहक प्रचालनीकृत दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के लिए पारेषण प्रभारों को संदाय करेगा।

(3) क्रॉस बार्डर ग्राहक, ग्रिड कोड के अधीन यथाअपेक्षित उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के संबंध में, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

17. मीटरिंग व्यवस्थाएं

- (1) इन्टरफेस मीटर (मुख्य मीटर, जांच मीटर और वैकल्पिक मीटर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और प्रचालन) विनियम, 2006 और उसके संशोधनों के अनुसार, क्रास बार्डर पारेषण लिंक के दोनों छोरों पर स्थापित किया जाएगा।
- (2) क्रास बार्डर पारेषण लिंक पर विद्युत के प्रवाह करने से पूर्व, दोनों देशों की पारेषण योजना एजेंसियां संबंधित देश के प्रणाली प्रचालन के लिए मुख्य मीटर, जांच मीटर और वैकल्पिक मीटर की उपलब्धता की पुष्टि करेंगे।
- (3) उक्त खण्ड (1) में यथाविनिर्दिष्ट इंटरफेस मीटर या संबंधित देशों के प्रणाली प्रचालकों, पारेषण योजना एजेंसियों द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

18. डाटा तथा संचार सुविधाएं

(1) विश्वसनीय तथा दक्ष आवाज एवं डाटा संचार प्रणालियां सामान्य एवं असाधारण स्थितियों के अधीन आवश्यक संचार तथा पर्यवेक्षण को सुकर बनाने एनएलडीसी या आरएलडीसी द्वारा ग्रिड पर्यवेक्षण तथा नियत्रंण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी संचार प्रणाली पड़ोसी देश के उत्पादन केन्द्र से प्रणाली प्रचालक के नियंत्रण कक्ष तक या संबंधित ग्रिड उपकेन्द्र(केन्द्रों) तथा वहां से भारत के प्रणाली प्रचालक कक्ष तक स्थापित की जाएगी:

परंतु यह कि क्रास बार्डर पारेषण लिंक आवश्यक रूप से विश्वसनीय होगा और दक्ष आवाज तथा उसमें दोनों तरफ से प्रणाली प्रचालकों सहित डाटा संचार प्रणालियां होंगी।

(2) सभी सहभागी इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रवाह, वॉल्टेज एवं स्विच या ट्रांसफार्मर टेप, इत्यादि जैसी टेलीमीटर विद्युत प्रणाली पैरामीटरों के लिए आवाज एवं डाटा संचार सुविधाएं केविविआ के लागू विनियमों के अनुसार इन्टरफेस अपेक्षाओं के अनुरूप स्थापित की गई हैं। सीटीयू प्रणाली पर उपयुक्त डाटा संग्रह स्थान के लिए आवाज और डाटा प्रवाह को सुकर बनाने के लिए, संबद्ध आवाज और डाटा संचार प्रणाली संबद्ध करार में सीटीयू द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संबंधित सहभागी इकाइयों द्वारा, स्थापित की जाएंगी।

19. प्रणाली रिकॉर्डिंग उपकरण

सभी सहभागी इकाइयों द्वारा डाटा अधिग्रहण <u>प्रणाली / डिस्टरबेंस</u> रिकॉर्डर / इवेंट लॉगिंग सुविधाएं / फाल्ट लॉकेटर (टाइम सिंक्रॉनाइजेशन उपकरण) सहित ध्वयंकन उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे और प्रणाली के गतिशील कार्यनिष्पादन के ध्वयंकन के लिए भारतीय ग्रिड में तथा पडोसी देश की पारेषण प्रणाली में हमेशा चाल स्थिति में रखे जाएंगे।

20. रिएक्टिव विद्युत क्षतिपूर्ति

- (1) रिएक्टिव विद्युत क्षतिपूर्ति और / या अन्य सुविधाएं भार प्वाइंट के निकट कम वॉल्टेज प्रणालियों में यथासंभव भारतीय ग्रिड से संबद्ध सहभागी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा भारतीय ग्रिड में / से रिएक्टिव विद्युत के विनिमय की आवश्यकता से बचा जा सके और विनिर्दिष्ट रेंज के अंदर वॉल्टेज को बनाए रखा जा सके।
- (2) ग्रिड से पहले से ही जुड़ी सहभागी इकाइयां एनएलडीसी के साथ परामर्श करके, संबंधित प्रादेशिक विद्युत सिमितियों) द्वारा विनिश्चित मात्रा और समय—सीमा के अनुसार, अतिरिक्त रिएक्टिव क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध करवाएंगी। सहभागी इकाइयां नियमित आधार पर रिएक्टिव क्षतिपूर्ति उपकरण की स्थापना और कार्यप्रणाली के संबंध में प्रादेशिक विद्युत सिमिति(यों) और एनएलडीसी को सूचना प्रदान करेंगे। प्रादेशिक विद्युत सिमिति(यों) इस संबंध में स्थिति का नियमित रूप से मॉनीटर करेगीं।

21. साइबर सुरक्षा

सभी सहभागी इकाइयों के पास जटिल साइबर आस्तियों का पता लगाने और उनको संरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क होगा ताकि ग्रिड के विश्वसनीय प्रचालन में सहायता मिल सके। एनएलडीसी इस संबंध में प्रगति को मॉनिटर करेगा।

अध्याय-4

प्रणाली प्रचालन

22. विद्युत का क्रास बार्डर व्यापार ऐसी रीति से किया जाएगा जो अंतरसंयोजन ग्रिड की विश्वसनीयता सुरक्षा और स्थिर प्रचालन सुनिश्चित करता हो और किसी भी स्थान पर ग्रिड सुरक्षा को जोखिम में न डालता हो। विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार के प्रयोजनों के लिए, सभी ग्रिड प्रचालन से संबंधित उपबंध आयोग के अभिभावी विनियमों के अनुसार लागू होंगे।

23. प्रणाली सुरक्षा पहलू

(1) भारत और पडोसी देश के बीच अंतरसंयोजन को उचित समन्वय सहित, दोनों देशों के संबंधित प्रणाली प्रचालकों द्वारा

मॉनिटर एवं नियंत्रित किया जाएगा।

- (2) क्रास बार्डर पारेषण लिंक का कोई भी भाग निम्नलिखित के सिवाय शेष प्रणाली से पृथक नहीं किया जाएगा :
 - (क) आपात स्थिति में, और ऐसी स्थिति में, जिसमें इस प्रकार की पृथकता कुल ग्रिड फेल से बचा जाएगा / या विद्युत आपूर्ति की शीघ्र बहाली हो सकेगी, या
 - (ख) मानव जीवन की सुरक्षा के लिए; या
 - (ग) जब बहुमूल्य उपकरण को गंभीर क्षति होने वाली हो और इस प्रकार की पृथक्ता इससे बचाएगी; या
 - (घ) जब ऐसी पृथकता के लिए आदान—प्रदान किए गए विनिर्दिष्ट संदेशों के माध्यम से दोनों देशों के प्रणाली प्रचालक(कों) द्वारा विशेष रूप से अनुदेश दिया गया है।
- (3) क्रॉस बार्डर अंतर—संयोजन जैसे ही स्थितियां इसकी अनुमित देती है की बहाली की जाएगी। बहाली प्रक्रिया संबंधित देश के प्रणाली प्रचालक के पर्यवेक्षण में की जाएगी।
- (4) संरक्षण और रिले सेटिंग के उपबंध का दोनों देशों के पारेषण सेवाप्रदायकों द्वारा आर्थिक रूप से समन्वित किया जाएगा। इन सेटिंगों के जब कभी भी किसी भी छोर पर नेटवर्क कनिफग्रेशन परिवर्तन होते हैं तो उनकी आविधक समीक्षा की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित देश किसी आकिस्मकताओं की सावधानी के लिए प्रणाली संरक्षण योजना स्थापित कर सकते हैं।
- (5) प्रणाली प्रचालकों के नियंत्रण केन्द्र और क्रास बार्डर पारेषण लिंक के किसी भी छोर पर उप—केन्द्र निरीक्षण कक्षों को प्रत्येक समय पर्याप्त और प्रशिक्षित मानव शक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि क्रास बार्डर अंतर्सबंधों के हर समय प्रचालन को सुकर बनाया जा सके।
- (6) आउटेज योजना सहित प्रचालनगत योजना एनएलडीसी और क्रांस बार्डर पारेषण लिंक के सुरक्षित तथा विश्वसनीय प्रचालन के लिए पड़ोसी देश में इसके प्रतिस्थानिक द्वारा पूरी की जाएगी।
- (7) 'प्रचालनगत कोड' के आदान-प्रदान के लिए एक प्रणाली तैयार की जाएगी तथा उसका उपयोग दोनों देशों के प्रणाली प्रचालकों के बीच किसी प्रचालनकारी अनुदेशों के आदान-प्रदान के लिए किया जाएगा।

24. अंतरण क्षमता की घोषणा

विद्युत के क्रांस बार्डर व्यापार के लिए कुल अंतरण क्षमता, पारेषण विश्वसनीयता मार्जिन और उपलब्ध अंतरण क्षमता भारत में प्रणाली प्रचालकों द्वारा अग्रिम रूप से मूल्यांकित की जाएगी और संबंधित पड़ोसी देश तथा दो देशों द्वारा मूल्यांकित एटीसी के दो मूल्यों में कमतर पर विद्युत के क्रांस बार्डर व्यापार की अनुमति के लिए विचार किया जाएगाः

परंतु यह कि एनएलडीसी इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए कारण देते हुए, किसी नोड पर प्रत्याशित नेटवर्क संस्थिति विज्ञान या प्रकाशित उत्पादन या भारत में परिवर्तन में परिवर्तन के कारण टीटीसी और एटीसी को पुनरीक्षित कर सकता है।

25. अनुसूचीकरण

- (1) भारत और संबंधित पड़ोसी देश के बीच विद्युत संव्यवहारों के सीमा पार व्यापार की अनुसूचीकरण और प्रेषण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा:
 - (क) विद्युत का अनुसूचीकरण संविदाओं में तय मात्रा के अनुसार क्रेता इकाई और विक्रेता इकाई के बीच की जाएगा।
 - (ख) अनुसूचीकरण प्रत्येक 15 मिनट टाइमब्लॉक के लिए या इस प्रकार के अन्य अवधि जैसा कि बाद में अधिसूचित किया जाए, में की जाएगी।
 - (ग) साप्ताहिक आधार पर घोषित पारेषण प्रणाली हानियां, यथास्थिति, भारत या पड़ोसी देश के संबंधित प्रणाली प्रचालक द्वारा घोषित मात्रा के अनुसार क्रेता इकाई या विक्रेता इकाई, द्वारा वहन की जाएगी।
- (2) यथास्थिति, विक्रेता इकाई या क्रेता इकाई, ग्रिडकोड के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण कोड संबंधी भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्थापन नोडल एजेंसी को अपनी मांगों को सूचित करेगा।
- (3) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी प्रचालन की तारीख के दौरान क्रास बार्डर संव्यवहारों और पुनरीक्षण के अनुसूचीकरण के लिए संबंधित पड़ोसी देशों के प्रणाली प्रचालकों के साथ समन्वय करेगी।
- (4) क्रास बार्डर संव्यवहारों वाले बहुविध सहभागियों के मामले में डिलीवरी प्वाइंट पर निवल अनुसूची प्रत्येक संव्यवहार के लिए वैयक्तिक अनुसूचियों के गणितीय योग होगा।

26. मीटरिंग ऊर्जा लेखांकन और व्यवस्थापन

(1) पड़ोसी देश से भारत में आयातित और पड़ोसी देश में भारत से निर्यातित संपूर्ण विद्युत के लिए ऊर्जा लेखांकन भारत में

संबंधित प्रादेशिक विद्युत समिति(यों) द्वारा प्रत्येक देश के लिए निवल आधार पर की जाएगी।

- (2) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी पड़ोसी देश के विक्रेता इकाई या क्रेता इकाई की ओर से कार्य कर रहे प्रादेशिक विचलन पूल लेखा का सदस्य होगा। यदि पड़ोसी देश भारत के किसी एक या उससे अधिक क्षेत्रों से जुड़ा है तो व्यवस्थापन नोडल अभिकरण संबंधित प्रादेशिक विचलन पूल का सदस्य होगा।
- (3) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा जारी किए गए विचलन पूल लेखा के अनुसार एनएलडीसी द्वारा रखे गए प्रादेशिक विचलन पूल से या विचलन के कारण प्रभारों का संदाय करेगा या उनको प्राप्त करेगा। व्यवस्थापन नोडल एजेंसी पड़ोसी देश की, यथास्थिति, विक्रेता इकाई या क्रेता इकाई के साथ उसका व्यवस्थापन करेगी।
- (4) रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का संदाय ग्रिड कोड के अनुसार व्यवस्थापन नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा और उक्त प्रभार पड़ोसी देशों की, यथास्थिति, विक्रेता इकाई या क्रेता इकाई से वसूले जाएंगे।
- (5) पड़ोसी देश में स्थित इकाइयों द्वारा वास्तविक अंतःक्षेपण या निकासी के लिए साप्ताहिक मीटर रीडिंग(मेगावाट घण्टा एआरएच के अनुसार आयात है या निर्यात) पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए मंगलवार दोपहर तक व्यवस्थापन नोडल एजेंसी के माध्मय से संबंधित आरएलडीसी या एनएलडीसी को उपलब्ध करवाई जाएगी तािक ऊर्जा लेखांकन को सरल बनाया जा सके।
- (6) अंतरसंयोजन स्थान पर अनुसूची से विचलन के लिए प्रभार भारत में डीएसएम विनियमों के अनुसार होंगे। पड़ोसी देश के अंदर प्रभारों पृथक्करण संबंधित पड़ोसी देशों द्वारा पदाभिहित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- (7) सभी भुगतान डीएसएम विनियमों में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के अनुसार व्यवस्थापन नोडल एजेंसी के माध्यम से पक्षकारों द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे।

27. आकिस्मिकता के मामले में क्रास बार्डर विद्युत व्यापार की कटौती

- (1) जब पारेषण अवरोधों के कारण या ग्रिंड सुरक्षा के हित में पारेषण कॉरिडोर पर विद्युत प्रवाह की कटौती आवश्यक हो जाती है तो पहले से अनुसूचित संव्यवहारों की एनएलडीसी द्वारा कटौती की जा सकेगी।
- (2) ग्रिडकोड के उपबंधों तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों के अधीन रहते हुए पहले, अल्पकालिक निर्बाध पहुंच में, उसके पश्चात्, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच तथा फिर उसके पश्चात् दीर्घकालिक पहुंच में कटौती की जाएगी :
 - परंतु यह कि विशेष श्रेणी की पहुंच के ग्रांटियों में कटौती समानुपातिक आधार पर की जाएगी।
- (3) एनएलडीसी द्वारा अनुमोदित अनुसूची कटौती की दशा में पारेषण प्रभार कटौती अनुसूची के अनुसार समानुपातिक आधार पर संदेय होंगे।

परंत् यह कि प्रचालन प्रभार कटौती की दशा में पुनरीक्षित नहीं किए जाएंगे।

28. घटना सूचना

- (1) क्रास बार्डर पारेषण लिंक में विद्युत प्रवाह को प्रभावित करने वाले घटकों की ट्रिपिंग, पूर्ण या आंशिक ब्लैकआउट या ग्रिड प्रचालन को प्रभावित करने वाले इस प्रकार की कोई अन्य घटनाओं को, भारत के संबंधित प्रणाली प्रचालक द्वारा पड़ोसी देश के प्रणाली प्रचालक को और इसके विपरीत रिपोर्ट की जाएगी।
- (2) लिखित प्रेषण घटना की तारीख तथा समय, स्थान प्रभावित संयंत्र या उपकरण और कोई अन्य संगत ब्यौरों का, (उदाहरण के लिए झण्डा, व्यवधान रिकार्डर आर्डर और क्रमिक घटना रिकार्डर आउटपुट) जो आवश्यक समझा जाए, को कवर करते हुए संबंधित प्रणाली प्रचालकों के बीच आदान—प्रदान किया जाएगा।

29. प्रणाली प्रचालकों के बीच समन्वय

भारत के प्रणाली प्रचालक (एनएलडीसी) और पड़ोसी देश में इसके प्रतिस्थानिक किसी संरक्षण और वाणिज्यिक संबद्घ विषयों सहित क्रास बार्डर अंतरसंबंध(ओं) के प्रचालन से संबद्घ विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए छमाही प्रचालनगत समन्वय बैठकें आयोजित करेंगे।

अध्याय-5

प्रभारों का भुगतान और भुगतान सुरक्षा तंत्र

30. पारेषण प्रभारों और अन्य प्रभारों का भुगतान

- (1) भारत के भीतर पूलिंग स्टेशन पर विद्युत की डिलीवरी के लिए पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार या पीओसी निकासी प्रभार हिस्सेदारी विनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिशासित होंगे।
- (2) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी अपने द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों के लिए उपयुक्त भुगतान सुरक्षा तंत्र स्थापित करेगी।

(3) कर, उपकर, सांविधिक ड्यूटी एवं उदग्रहण भारत में लागू विधियों के अनुसार क्रास बार्डर ग्राहकों द्वारा संदेय होंगे।

31. पारेषण हानियां

ग्रिंड कोड के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया संबंधी विनियम 6.5 तथा आईएसटीएस हानियों की हिस्सेदारी के लिए प्रक्रिया के संविदाओं की अनुसूचीकरण करते समय हानियां लागू करने संबंधी विनियम 6 के उपबंधों के आधार पर, पारेषण हानियों की हिस्सेदारी निम्नलिखित पद्धित के अनुसार की जाएगी:

- (क) यथालागू निकासी पीओसी हानियां इन्टरफेस पर लाग् होंगी।
- (ख) संबंधित अंतःक्षेपण ग्रिड की अंतःक्षेपण पीओसी हानियां इन्टरफेस पर लागू होंगी।
- (ग) क्रास बार्डर पारेषण लिंक के भारतीय छोर पर कुल अनुसूची संबंधित अंतःक्षेपण जोन और निकासी पीओसी हानि की अंतःक्षेपण पीओसी हानि को लागू करने के बाद तय की जाएंगी।

32. प्रणाली प्रचालन फीस और प्रभार

- (1) पड़ोसी देशों में इकाइयों की ओर से, व्यवस्थापन नोडल एजेंसी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 या उसके किसी पश्चात्वर्ती अधिनियमिति के अनुसार भारत में प्रणाली प्रचालक की फीस तथा प्रभार का संदाय करेगी।
- (2) व्यवस्थापन नोडल एजेंसी संबंधित प्रणाली प्रचालक के प्रयोक्ता के रूप में अपने को रजिस्टर करेगी और केविविआ विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रभारों का भुगतान करेगी।
- (3) पड़ोसी देशों में या से विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए प्रस्तावित भारत में कोई विक्रेता इकाई या क्रेता इकाई भारत में प्रणाली प्रचालक के फीस एवं प्रभारों के लिए व्यवस्थापन नोडल एजेंसी को भुगतान करेगी।

33. पारेषण प्रभारों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र

- (1) क्रास बार्डर ग्राहक पारेषण प्रभारों तथा विभिन्न ग्रिड से संबंधित प्रभारों के संदाय के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के लिए दायी होगा।
- (2) क्रास बार्डर ग्राहक पारेषण पहुंच के आरंभ की सूचित तारीख से पूर्व कम से कम 90 दिनों पर पारेषण प्रभारों के लिए भुगतान सुरक्षा को स्थापित करेगा जिसमें दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के उपयोग के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:
 - (क) एक वर्ष की वैधता सहित पारेषण प्रभार के लिए औसत मासिक बिल रकम (2.1) बार के समतुल्य विनियम 35 में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के माध्यम से केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के पक्ष में अप्रतिसहार्य, बिना शर्त और परिक्रामी साखपत्र।
 - (ख) एक वर्ष की वैधता सहित ग्रिंड संबद्ध प्रभार के लिए औसत मासिक बिल रकम (2.1) के समतुल्य विनियम 35 में यथाविर्निष्ट बैंक के माध्यम से भारत की व्यवस्थापन नोडल एजेंसी के पक्ष में अप्रतिसहार्य, बिना शर्त और परिक्रामी साखपत्र।
- (3) पारेषण प्रभारों और अन्य ग्रिड से संबंधित प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में, क्रास बार्डर ग्राहक को अपनी देयताओं का निर्वहन करने तक भारतीय ग्रिड में पहुंच देने से देने से इंकार किया जा सकेगा।

अध्याय-6

विविध

34. विवाद व्यवस्थापन और समाधान तंत्र

- (1) भारतीय क्षेत्र में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार से संबंधित विवादों को विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- (2) पृथक् देशों से अंतवर्लित विवादों का निपटान विवाद उद्भूत होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर सहभागी इकाइयों द्वारा पारस्परिक रूप से निपटान किया जाएगा।
- (3) यदि विवाद का उद्भूत होने की तारीख से 60 दिनों के बाद भी निपटान नहीं होता तो उसे सरकारी स्तर पर पारस्परिक रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
- (4) यदि तब भी विवाद का समाधान नहीं होता तो इसे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से इस प्रकार निपटाया जाएगा जिस प्रकार विविदित पक्षकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो।

35. बैंक ब्योरे

इन विनियमों के अधीन उपलब्ध करवाए जाने के लिए अपेक्षित बैंक गारंटी, साखपत्र या कोई अन्य भुगतान प्रतिभूति या भुगतान को आवेदक द्वारा या भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक से या संबंधित पड़ोसी देश में बैंक से भारतीय रुपयों में क्रास बार्डर ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पुष्टि की जाएगी:

36. शिथिल करने की शक्ति

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रभावित संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए आवेदन पर, शिथिल कर सकेगा।

37. निर्देश जारी करने की शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी बनाने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो आयोग अपने प्रस्ताव से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा दाखिल आवेदन पर ऐसे आदेश जारी कर सकता है जिसे इन विनियमों के उद्देश्य या प्रयोजन के अनुपालन में आवश्यक समझा जाए।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 44 / 19]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

CERC(Cross Border Trade of Electricity Regulations), 2019

No. 13/2/7/2015-PM/CERC.—In accordance with the provisions of Section 178 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) read with Section 66 thereof and the Guidelines on import and export of Electricity issued by Ministry of Power, Government of India, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations:

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, 2019.
- (2) These regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions and Interpretation

- (1) In these regulations, unless the context, otherwise requires:
- (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) **'Actual Drawal'** in a time-block means electricity drawn by a buying entity measured by the interface meters:
- (c) 'Actual Injection' in a time-block means electricity injected by a selling entity, measured by the interface meters;
- (d) 'Access Bank Guarantee or ABG' means the bank guarantee which an applicant shall be required to furnish while seeking long-term access to Indian grid for cross border trade of electricity and shall also include the bank guarantee required to be furnished by the applicant in case the grant of long-term access requires augmentation of transmission system in India;
- (e) 'Applicant' means an entity located in neighbouring country who has been recognized as a Participating Entity as defined in these regulations;

- (f) **'Available Transmission Capability' or 'ATC'** means the transfer capability, in MW, of the intercontrol area transmission system available for scheduling cross-border transactions (through long-term access, medium-term open access and short-term open access) in a specific direction, taking into account the network security;
- (g) **'Buying Entity'** means the entity which has been granted long-term access or medium-term open access or short-term open access and is purchasing electricity in accordance with these regulations;
- (h) 'Central Electricity Authority' or 'CEA' means Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
- (i) 'Central Transmission Utility' or 'CTU' means Central Transmission Utility as defined in subsection (10) of Section 2 of the Act;
- (j) **'Commission' or 'CERC'** means Central Electricity Regulatory Commission referred to in subsection (1) of Section 76 of the Act;
- (k) **'Competent Authority'** means the authority of the neighbouring country vested with the power to accord approval(s) on matters related to cross border trade of electricity with India;
- (l) 'Connection Agreement' means an Agreement defining technical conditions of connecting to Indian grid in the course of cross border trade of electricity;
- (m) **'Connectivity'** means the state of getting connected to the Indian grid for the purpose of cross border trade of electricity;
- (n) 'Connectivity Regulations' means Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time or re-enactment thereof;
- (o) 'Contract Performance Guarantee' means the irrevocable, unconditional and revolving bank guarantee submitted by the Transmission Service Provider to the Long Term Transmission Customers in terms of the Transmission Service Agreement;
- (p) 'Control Area' means an electrical system bounded by interconnections (tielines), metering and telemetry which controls the generation and/or load within the area to maintain its interchange schedule with other control areas whenever required to do so and contributes to frequency regulation of the synchronously operating system. Each neighbouring country inter-connected with Indian Grid shall be treated as a separate control area;
- (q) 'Cross Border Trade of Electricity' means transactions involving import or export of electricity between India and any of the neighbouring countries and shall also include transactions across India involving neighbouring countries;
- (r) **'Cross Border Customer'** means a person who has been granted long-term access or medium-term open access or short-term open access, as the case may be, for carrying out cross border trade of electricity in accordance with these regulations;
- (s) **'Cross Border Transmission Link' or 'CBTL'** means the transmission link from the pooling station within India till the pooling station of a neighbouring country, as may be specified by the Designated Authority in consultation with the Transmission Planning Agency of any of the neighbouring countries and shall include the dedicated transmission line from the generating station located within the territory of a neighbouring country getting connected with the Indian grid;
- (t) **'Data Acquisition System'** or **'DAS'** means a device designed to record the sequence of operation in time, of the relays, equipments, system parameters at a particular location;
- (u) **'Dedicated Transmission System'** means the transmission system developed by a Participating Entity for transmitting electricity from a generating station located in a neighbouring country to a specified point in the Indian grid;
- (v) 'Designated Authority' or 'DA' means the authority designated by Ministry of Power, Government of India in accordance with the Guidelines:

- (w) 'Deviation' in a time-block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled injection and for a buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal and shall be calculated at the Interconnection point;
- (x) 'DSM Regulations' means Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, as amended from time to time or any subsequent reenactment thereof;
- (y) **'Entity'** means a company or authority or Board or autonomous body corporate or juridical person of India or any of the neighbouring countries which proposes to participate in cross border trade of electricity;
- (z) **'Grid Code'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time or re-enactment thereof;
- (aa) 'Guidelines' means the Guidelines on Cross Border Trade or Import/Export (Cross Border) of Electricity issued by Ministry of Power, Government of India from time to time;
- (bb) 'Indian Grid' means the Inter-State Transmission System (ISTS) or Intra-State Transmission System (In-STS) or both as the case may be;
- (cc) 'Interface Meters' means special energy meters in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time;
- (dd) 'Inter-State transmission system' and 'intra-State Transmission System' shall have the same meaning as assigned to them under sub-sections (36) and (37) of Section 2 of the Act respectively;
- (ee) 'Interconnection Point' means the point of interconnection located within the territory of India for the purpose of scheduling, metering, accounting and billing of electricity in the course of cross border trade of electricity between India and any of the neighbouring countries;
- (ff) **'Long-term Access'** means the right to use the inter-State transmission system of India for a period of 7 years or more;
- (gg) **'Long-term Power Purchase Agreement'** means a Power Purchase Agreement for a period of 7 years or more;
- (hh) 'Medium-term Open Access' means the right to use the inter-State transmission system of India for a period exceeding 3 months but not exceeding 5 years;
- (ii) 'Medium-term Power Purchase Agreement' means a Power Purchase Agreement for a period exceeding 1 year but not exceeding 5 years;
- (jj) 'National Load Despatch Centre' or 'NLDC' means the Centre established under sub-section (45) of Section 2 of the Act;
- (kk) **'Open Access'** within the territory of India shall have the same meaning as defined under sub-section (47) of Section 2 of the Act;
- (II) **'Participating Entity'** means an entity approved by the Designated Authority for the purpose of cross border trade of electricity between India and any of the neighbouring countries or any entity as designated by Government of India for import or export of power through bilateral agreement between Government of India and Government of any of the neighbouring countries;
- (mm) 'Point of Connection charges' or 'PoC charges' means the nodal or zonal charges determined using Point of Connection charging method as specified under Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges) Regulations, 2010, as amended from time to time;
- (nn) 'Pooling Station' means the sub-station interfacing two or more transmission lines of the same or different voltage;
- (oo) **'Power Market Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010, as amended from time to time or any re-enactment thereof;
- (pp) 'Regional Power Committee' or 'RPC' means the Committee as defined in sub-section (55) of Section 2 of the Act;

- (qq) **'Scheduled Drawal'** at any time or for time block(s) means schedule of drawal in MW or MWh exbus given by the concerned System Operator;
- (rr) **'Scheduled Generation'** at any time or for any time block(s) means schedule of generation in MW or MWh ex-bus given by the concerned System Operator;
- (ss) **'Selling Entity'** means the entity which has been granted long-term access or medium-term open access or short-term open access and is selling electricity in accordance with these regulations;
- (tt) **'Settlement Nodal Agency'** or **'SNA'** means the nodal agency as notified by Ministry of Power, Government of India for each neighbouring country for settlement of grid operation related charges;
- (uu) **'Sharing Regulations'** means the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010, as amended from time to time or re-enactment thereof;
- (vv) **'Short-term Open Access'** means open access for a period up to one (1) month at a time;
- (ww) 'Short Term Open Access Regulations' or 'STOA Regulations' means Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time or re-enactment thereof;
- (xx) **'Short-term Power Purchase Agreement'** means a Power Purchase Agreement for duration of less than one year;
- (yy) **'System Operator'** means the entity which shall discharge the following main functions:
- (i) Scheduling and dispatch of electricity over the Cross Border Transmission Links in accordance with grid standards specified as per the provisions of the Act;
- (ii) Monitoring of operations and grid security of the Cross Border Transmission Links with respective neighbouring country;
- (iii) Supervision and control over the inter-regional and or Cross Border Transmission Links as may be required for ensuring stability of the power system in coordination with the agency responsible for system operation in the concerned neighbouring country;
- (iv) Any other functions as may be assigned by the Commission in the interest of grid security;
- (zz) **'Time-block'** means a block of 15 minutes or any such other duration as may be specified by the Commission, for recording specified electrical parameters and quantities by special energy meters, with the first time block starting at 0000 hrs of the day;
- (aaa) 'Total Transfer Capability' or 'TTC' means the electric power that can be transferred reliably over the inter-control area transmission systems under a given set of operating conditions considering the effect of occurrence of the worst credible contingency;
- (bbb) **'Transmission Planning Agency'** or **'TPA'** means the Planning Agency for India or neighbouring country as specified under Regulation 4(2) of these regulations;
- (ccc) 'Transmission Reliability Margin' or 'TRM' means the margin factored in the total transfer capability for ensuring secure operation of the Cross Border Transmission Link under a reasonable range of uncertainties in system conditions.
- (2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or the Connectivity Regulations or STOA Regulations or Grid Code or any other regulations specified by the Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them under the Act or the Connectivity Regulations or STOA Regulations or the Grid Code or any other regulations specified by the Commission from time to time.

CHAPTER-2

GENERAL PROVISIONS

(1) These regulations shall be applicable to the Participating Entities in India and the neighbouring countries which are engaged in cross border trade of electricity with India.

Provided that the entities located in India who are seeking connectivity or long-term access or medium-term open access or short-term open access to the Indian grid in the course of cross border trade of electricity between India and any of the neighbouring countries shall continue to be governed by Connectivity Regulations and the STOA Regulations.

- (2) Cross border trade of electricity between India and the neighbouring country(ies) shall be allowed through mutual agreements between Indian entity(ies) and entity(ies) of the neighbouring country(ies) under the overall framework of agreements signed between India and the neighbouring country(ies) consistent with the provisions of the prevailing laws in the respective country(ies), including:
 - (i) through bilateral agreement between two countries;
 - (ii) through bidding route; or
 - (iii) through mutual agreements between entities; or

Provided that in case of tripartite agreements, the cross border trade of electricity across India shall be allowed under the overall framework of bilateral agreements signed between Government of India and the Governments of the respective neighbouring countries of the Participating Entities.

(3) Notwithstanding the provisions of these regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken for cross border trade of electricity with neighbouring country(ies) under any Agreement in force prior to the date of coming into force of these Regulations, shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these Regulations and shall continue to be in place till the expiry of the said Agreements.

4. Institutional Framework

- (1) Designated Authority appointed by the Ministry of Power, Government of India shall be responsible for facilitating the process of approval and laying down the procedure for import and export of electricity. The Designated Authority shall coordinate with any authority designated by the concerned neighbouring country for all purposes stated in the Guidelines.
- (2) Transmission Planning Agency shall be responsible for planning of transmission system for the purpose of facilitating cross border trade of electricity and may coordinate with the Transmission Planning Agency of the concerned neighbouring country, wherever necessary. For India, this function shall be discharged by the Designated Authority.
- (3) Settlement Nodal Agency shall be responsible for settling all charges pertaining to grid operations including operating charges, charges for deviation and other charges related to transactions with a particular neighbouring country in the course of cross border trade of electricity. The Settlement Nodal Agency shall be a member of the deviation pool, reactive energy pool and other regulatory pools for payment and settlement of the corresponding charges in the pool accounts of the region having connectivity with any neighbouring country.
- (4) National Load Dispatch Centre shall act as the System Operator for cross border trade of electricity between India and the neighbouring countries and shall be responsible for granting short-term open access and for billing, collection and disbursement of the transmission charges for short-term open access transactions in accordance with the Sharing Regulations.
- (5) Central Transmission Utility shall be responsible for granting long-term access and medium-term open access with respect to cross border trade of electricity between India and the neighbouring countries and for billing, collection and disbursement of the transmission charges in accordance with the Sharing Regulations.

5. Tariff Determination

(1) Tariff for import of electricity by the Indian Entity(ies) shall be determined through a process of competitive bidding as per the Tariff Policy notified from time to time under Section 3 of the Act or through mutual agreement between the buying Indian entity and the selling entity of the respective neighbouring

country under the overall framework of agreements signed between India and the neighbouring country(ies) subject to payment of the applicable charges for transmission or wheeling of electricity through the Indian grid.

Provided that in case of import of electricity from the hydro generation projects located in any of the neighbouring countries, the tariff thereof shall be determined by the Commission as per the parameters specified in the Tariff Regulations notified from time to time, only if the hydro generator approaches the Commission through the Government of the neighbouring country and is agreed to by the buying Indian entity(ies).

- (2) Tariff for export of electricity to entities of a neighbouring country by the Indian entities through long-term or medium-term or short-term agreements may be either mutually agreed under the overall framework of agreements signed between India and the neighbouring country(ies) or discovered through competitive bidding, subject to payment of the applicable charges for transmission or wheeling of electricity through the Indian grid.
- (3) Where the tariff for import or export of electricity is mutually agreed between the Government of India and the Government of any neighbouring country involving the participating entities of the two countries, the same shall be final.

Provided that the tariff for import or export of electricity already determined through Government to Government negotiations including under Inter Government Agreements (IGA) shall continue to be determined through Government to Government negotiations till the expiry of the Agreement or as may be decided by the two countries including determination of tariff through competitive bidding.

Provided further that on expiry of the Agreement, if not extended further, the tariff may be determined through the process of competitive bidding or mutual agreements or Government to Government negotiations.

(4) The tariff for the Cross Border Transmission Link from the pooling station within India till the Indian border may be determined through a process of competitive bidding or through Government to Government negotiations or by the Commission.

6. Trade Through Indian Power Exchanges

Any electricity trading licensee of India may, after obtaining approval from the Designated Authority, trade in the Indian Power Exchanges on behalf of any Participating Entity of neighbouring country, for the specified quantum as provided in the Approval subject to compliance with the applicable Regulations of the Commission.

CHAPTER-3

TRANSMISSION PLANNING, CONNECTIVITY AND ACCESS

7. Planning and Implementation of Cross Border Transmission Link

- (1) The Cross Border Transmission Link between India and any neighbouring country shall be planned jointly by Transmission Planning Agencies of the two countries with the approval of the respective Governments keeping in view the future need for electricity trade between India and the neighbouring country.
- (2) The manner of implementation of Cross Border Transmission Link between the pooling station within India till the Indian border and the implementing agency shall be decided by Government of India.

Provided that a participating entity having a generating station located in a neighbouring country may develop, operate and maintain the dedicated transmission system from the generating station to the pooling station within India at its own cost after obtaining all the necessary approvals from respective countries.

- (3) The Transmission Planning Agency of India in consultation with the Transmission Planning Agency of neighbouring country shall grant access to the Participating Entities to use Cross Border Transmission Link for cross border trade of electricity.
- (4) The Cross Border Transmission Link shall not form part of the basic ISTS network for the determination of PoC charges under the Sharing Regulations.

(5) The tariff for the Cross Border Transmission Link(s) from the pooling station within India to the Indian border as determined in terms of Clause (4) of Regulation 5 shall be payable by the Applicant(s).

8. General provisions for Connectivity, Long Term Access, Medium Term Open Access and Short Term Open Access

- (1) A Participating Entity located in a neighbouring country shall be required to seek connectivity or long-term access or medium-term open access or short-term open access, as the case may be, through separate applications.
- (2) Applications for grant of connectivity or long-term access or medium-term open access shall be made to CTU and Applications for grant of short-term open access shall be made to NLDC under these Regulations.
- (3) Except where specifically provided in these Regulations, the provisions contained in the STOA Regulations and Connectivity Regulations shall apply mutatis mutandis to the participating entities for cross border trade of electricity.

9. Application fee

(1) The applications for connectivity, long-term access and medium-term open access shall be accompanied by a non-refundable application fee in Indian Rupees as provided below, payable in the name and in the manner to be laid down by the CTU:

S. No.	Quantum of Power to be injected/off taken	Application fee (Rs. in Lakh)	
	into/fromISTS	For Connectivity/Long term Access	Medium-term open access
1.	Up to 100MW	4	2
2.	More than 100 MW and up to 500 MW	6	4
3.	More than 500 MW and up to 1000 MW	12	6
4.	More than 1000 MW	18	8

- (2) Access Bank Guarantee as specified under Clause (1) of Regulation 15 of these Regulations shall be deposited by the Participating Entities along with the application for long-term access.
- (3) The fee for short-term open access applications shall be governed as per the Procedure issued under STOA Regulations.

10. Application for Grant of Connectivity

- (1) A Participating Entity located in neighbouring country and getting connected to the Indian grid through dedicated transmission systems for cross border trade of electricity within or across India shall be required to apply for Connectivity to the Indian grid.
- (2) The Participating Entity as specified under Clause (1) above shall make an application to CTU for the grant of Connectivity to the Indian grid. In addition to the requirements specified under Connectivity Regulations, the Applicant shall furnish the following:
- (a) Approval from Designated Authority with regard to eligibility of the Participating Entity for cross border trade of electricity or copy of the Inter Government Agreement (IGA) wherever available; and
- (b) Necessary Approvals for implementing the dedicated transmission system.
- (3) On receipt of the application, the CTU shall process the application and grant Connectivity as per the Detailed Procedure made under Connectivity Regulations. CTU may consult and coordinate with Transmission Planning Agency(ies)of neighbouring countries while processing the application and carry out the necessary

inter-connection study as specified in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007.

- (4) Upon grant of Connectivity, the Applicant shall sign a Connection Agreement with the CTU.
 - Provided that in case Connectivity is granted to the inter-State transmission system of an inter-State transmission licensee other than the CTU, an agreement as provided in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid), Regulations, 2007 shall be signed between the Applicant, CTU and such inter-State transmission licensee.
- (5) Grant of Connectivity shall not entitle an applicant to interchange any power with the Indian grid unless it obtains long-term access or medium-term open access or short-term open access for cross border trade of electricity.
- (6) A Participating Entity located in the neighbouring country and getting connected to the Indian grid through Cross Border Transmission Link shall not be required to apply for Connectivity to the Indian grid.

11. Application for Short-Term Open Access

- (1) The Application for short-term open access to the Indian grid and across the Indian grid for cross border trade of electricity shall be made to NLDC under these Regulations.
- (2) In addition to the requirements specified under STOA Regulations for grant short-term open access to the Indian grid, the Applicant shall furnish the following:
- (a) Approval from Designated Authority with regard to eligibility of the Participating Entity for cross border trade of electricity or copy of the Inter Government Agreement (IGA) wherever available; and
- (b) Approval from Designated Authority in India and Competent Authority in neighbouring country(ies) to use Cross Border Transmission Link(s) in case connectivity is not through dedicated transmission lines.
- (3) NLDC shall process the Application and grant short-term open access in accordance with the Procedure made under STOA Regulations.

12. Application for Long-Term Access and Medium-Term Open Access

- (1) The application for long-term access or medium-term open access to Indian grid and across Indian grid for cross border trade of electricity shall be made to CTU.
- (2) In addition to the requirements specified under Connectivity Regulations for grant of long-term access or medium-term open access to the Indian grid, the Applicant shall furnish the following:
- (a) Approval from Designated Authority with regard to eligibility of the Participating Entity for cross border trade of electricity or copy of the Inter Government Agreement (IGA) wherever available; and
- (b) Approval from Designated Authority in India and Competent Authority in neighbouring country(ies) to use Cross Border Transmission Link(s) in case connectivity is not through dedicated transmission lines; and
- (c) Access Bank Guarantee as specified under Regulation 15 for long-term access.
- (3) CTU shall process the application and grant long-term access or medium-term open access to the Indian grid or across the Indian grid, as the case may be, in accordance with the detailed procedure notified under Connectivity Regulations except for the provisions specified herein.
- (4) Upon grant of long-term access or medium-term open access for cross border trade of electricity, the Applicant shall sign the Long Term Access Agreement or Medium Term Open Access Agreement, as the case may be, with CTU which shall contain the date of commencement of long-term access or medium-term open access, as the case may be, the point of injection of power into the Indian grid and point of drawal from the Indian grid.

Provided that in case long-term access or medium-term open access is granted to the inter-State transmission system of an inter-State transmission licensee other than the CTU, the agreement shall be signed between the Applicant, CTU and such inter-State transmission licensee.

- (5) Implementation of the transmission system augmentation, if any, for grant of long-term access shall be undertaken only after the applicant has submitted the Access Bank Guarantee specified under Clause (2) of Regulation 15.
- (6) Where tripartite agreement is signed for transaction across India involving two neighbouring countries, the transmission system augmentation in India for transmission of electricity across the territory of India shall be undertaken only after obtaining approval from Government of India and the Commission and the Access Bank Guarantee as specified under Clause (2) of Regulation 15 is submitted by the Applicant.

13 Timeframe for processing Long-Term Access and Medium-Term Open Access Application

- (1) CTU shall process the long-term access applications made under these Regulations requiring augmentation of transmission system in the Indian Grid within one hundred twenty (120) days from the last date of the month in which application is made.
- (2) Long-term access applications where augmentation of transmission system is not required shall be processed within ninety (90) days from the last date of the month in which application is made.
- (3) CTU shall process the medium-term open access applications made under these Regulations within forty (40) days from the last date of the month in which application is made.

14. Treatment of delay in Transmission system and Generation projects

- (1) Designated Authority shall monitor the progress of generating station including units thereof in neighbouring country along with transmission system for evacuation of power for cross border trade of electricity in consultation and co-ordination with CTU of India, Transmission Planning Agency(ies) of neighbouring country(ies) and the developer of the generating station, at regular interval.
- (2) The generating company located in the neighbouring country, implementing agency(ies) and the transmission licensee(s) shall endeavour to commission the generating station, Cross Border Transmission Link(s) and the transmission system within India respectively in matching time-frame as far as practicable.
- (3) In case of delay in commissioning of generating station or unit(s) thereof and associated dedicated transmission system in the neighbouring country beyond the scheduled date agreed in the Long Term Transmission Access Agreement, the generator shall be liable to pay full transmission charges from the date of operationalisation of long-term access.
- (4) In case of delay in commissioning of Cross Border Transmission Link, compensation if any to the generating company or transmission licensee or both, as the case may be, shall be as decided by the respective Governments.
- (5) In the event of delay by the transmission licensee in commissioning of transmission system within India beyond its scheduled date and the generating company is ready with its generating station or unit(s), the transmission licensee shall pay transmission charges to generating company proportionate to commissioned generation capacity in case no alternative arrangement is made by the CTU.

Provided that in case of non-payment of transmission charges by the transmission licensee to the generating company, such charges shall be recovered by the CTU from the Contract Performance Guarantee furnished by the transmission licensee and paid to the generating company.

15. Access Bank Guarantee

- (1) An Applicant seeking long-term access for cross border trade of electricity shall be required to furnish to the CTU, along with the application, an Access Bank Guarantee valid for five (5) years from the date of operationalization of long term access, for an amount of Rs. Five (5) Lakhs/MW corresponding to the quantum of long-term access sought.
- (2) In case the grant of long-term access requires augmentation of transmission system in India, the CTU shall intimate the cost of augmentation within ninety
- (90) days from the date of the month in which the application is made and the Applicant shall furnish a fresh Access Bank Guarantee valid for five (5) years for an amount equivalent to the cost of such augmentation within one (1) month of intimation of the cost of augmentation by CTU.

Provided that on receipt of the Access Bank Guarantee in pursuance to above, CTU shall return the Access Bank Guarantee submitted in terms of Clause (1).

(3) The Cross Border Customer who has been granted long-term access may approach CTU and seek permission to exit prior to the award of contract for execution of transmission system by the transmission licensee. All such requests shall be considered and decision communicated to the applicant not later than thirty (30) days from the date of the request.

Provided that where exit is permitted, the CTU may encash Rs. 20 lakhs from the Access Bank Guarantee submitted in terms of Clause (1) or Clause (2), as the case may be, and return the balance amount to the Cross Border Customer.

- (4) If a Cross Border Customer relinquishes Transmission Access granted under these Regulations after the award of the contract for execution of transmission system and before operationalization of long-term access, Access Bank Guarantee shall be encashed by the CTU.
- (5) In case there is delay in commissioning of the generating station and associated dedicated transmission system beyond the timelines agreed in the Long Term Transmission Access Agreement, and long-term access has been operationalized, the transmission charges if not paid by the generator as provided in Clause (3) of Regulation 14, shall be recovered by CTU by encashing the Access Bank Guarantee submitted in terms of Clause (1) or Clause (2), as the case may be.
- (6) If a Cross Border Customer relinquishes Transmission Access granted under these Regulations after operationalization of long term access, Access Bank Guarantee submitted in terms of Clause (1) or Clause (2), as the case may be, shall be encashed by the CTU subject to Clause (7) of this Regulation.
- (7) The quantum of Access Bank Guarantee submitted in terms of Clause (1) or Clause (2), as the case may be, shall be progressively reduced each year after the generating company begins to avail long term access corresponding to one fifth of its total value. On completion of each year, one fifth of the value of Access Bank Guarantee shall be returned to the Applicant each year up to fourth year and one-fifth of the Access Bank Guarantee shall be retained upto twelfth year of the long term access as a security towards relinquishment charges. The Applicant shall submit revised Access Bank Guarantee accordingly.

16. Operationalisation of Long-Term Access

- (1) The operationalisation of long-term access for cross border trade of electricity shall start from the date indicated in the Long Term Transmission Access Agreement or from the availability of the transmission system for operationalisation of long-term access, whichever is later and the liability of payment of transmission charges shall begin from this date.
- (2) Where the operationalisation of long-term access is contingent upon commissioning of several transmission lines or systems and only some of the transmission lines or elements have been declared under commercial operations, long-term access to the extent which can be operationalized without affecting the security and reliability of the Indian Grid may be permitted for which the Long Term Transmission Access customer shall pay the transmission charges for the quantum of long-term access operationalized.
- (3) The Cross Border Customer shall submit certificate regarding Commercial Operation declaration of the generating station or transmission system as required under Grid Code.

17. Metering Arrangements

- (1) Interface Meters (Main Meter, Check Meter and Standby Meter) shall be installed at both the ends of the Cross Border Transmission Link in accordance with Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 and amendments thereof.
- (2) Before flow of electricity on the Cross Border Transmission Link, Transmission Planning Agencies of both the countries shall confirm the availability of Main Meter, Check Meter and Standby Meter to System Operator of respective country.
- (3) Interface Meters as specified in Clause (1) above, shall be open for inspection by any person authorized by the Transmission Planning Agencies or System Operators of the respective countries.

18. Data and Communication Facilities

a. Reliable and efficient voice and data communication systems shall be provided to facilitate necessary communication and data exchange, and supervision or control of the grid by the NLDC or RLDC, under normal and extraordinary conditions. Such communication system must be established from generating station or concerned grid substation(s) to control room of System Operator of a neighbouring country and from there to control room of System Operator of India.

Provided that the Cross Border Transmission Link shall necessarily have reliable and efficient voice and data communication systems with the System Operators on both the sides.

b. All Participating Entities shall ensure that the voice and data communication facilities to telemeter power system parameters such as flow, voltage and status of switches or transformer taps etc. is installed in line with interface requirements as per the applicable Regulations of CERC. The associated voice and data communication system to facilitate voice and data flow up to appropriate data collection point on CTUs system shall be established by the concerned Participating Entities as specified by CTU in the Connection Agreement.

19. System Recording Instruments

Recording instruments including Data Acquisition System/Disturbance Recorder/Event Logging Facilities/Fault Locator (including time synchronization equipment) shall be provided by all Participating Entities and shall always be kept in working condition in the Indian grid and transmission system of the neighbouring country for recording of dynamic performance of the system.

20. Reactive Power Compensation

- a. Reactive Power compensation and/or other facilities shall be provided by Participating Entities connected to Indian grid as far as possible in the low voltage systems close to the load points thereby avoiding the need for exchange of Reactive Power to/from Indian grid and to maintain voltage within the specified range.
- b. The Participating Entities already connected to the grid shall also provide additional reactive compensation as per the quantum and timeframe decided by respective Regional Power Committee(s) in consultation with NLDC. The Participating Entities shall provide information to Regional Power Committee(s) and NLDC regarding the installation and functioning of the reactive compensation equipment on regular basis. Regional Power Committee(s) shall regularly monitor the status in this regard.

21. Cyber Security

All Participating Entities shall have in place a cyber-security framework to identify the critical cyber assets and protect them so as to support reliable operation of the grid. NLDC shall monitor the progress in this regard.

CHAPTER-4

SYSTEM OPERATION

22. Cross border trade of electricity shall be undertaken in a manner that ensures reliable, secure and stable operation of the interconnected grid and does not jeopardize grid security at any point of time. For purposes of cross border trade of electricity, all grid operation related provisions shall be applicable as per the prevailing regulations of the Commission.

23. System Security Aspects

- (1) The interconnection between India and the neighbouring country shall be monitored and controlled by the respective System Operators of the two countries, with proper coordination.
- (2) No part of the Cross Border Transmission Link shall be isolated from the rest of the system, except,
 - a) Under an emergency, and conditions in which such isolation would prevent a total grid collapse and/or would enable early restoration of electricity supply; or
 - b) For safety of human life; or
 - c) When serious damage to a costly equipment is imminent and such isolation would prevent it; or
 - d) When such isolation is specifically instructed by the System Operator(s) of either of the two Countries through specific messages exchanged to this effect.

- (3) Restoration of the cross border interconnection shall be carried out as soon as the conditions permit it. The restoration process shall be supervised by respective country's System Operator.
- (4) Provision of protection and relay settings shall be coordinated periodically by the Transmission Service Providers of both countries. These settings would be periodically reviewed as and when network configuration changes at either of the ends. If necessary, the respective countries may also put into place System Protection Schemes (SPS) to take care of any contingencies.
- (5) The Control Centres of the System Operators and the Substation Control Rooms at either ends of the Cross Border Transmission Link shall be manned by adequate and trained manpower at all times to facilitate round the clock operation of the cross border interconnections.
- (6) Operational planning including outage plan shall be carried out by NLDC and its counterpart in the neighbouring country for secure and reliable operation of the Cross Border Transmission Link.
- (7) A system of exchanging 'operational codes' shall be evolved and used for exchanging any operating instructions between the System Operators of both the countries.

24. Declaration of Transfer Capability

Total Transfer Capability (TTC), Transmission Reliability Margins (TRM) and Available Transfer Capability (ATC) for the cross border trade of electricity shall be assessed in advance by System Operators in India and the concerned neighbouring country and lower of the two values of ATC assessed by the two countries shall be considered for allowing cross border trade of electricity.

Provided that NLDC may revise TTC and ATC due to change in anticipated network topology or change of anticipated generation or load at any of nodes giving reason for such changes.

25. Scheduling

- (1) The following procedure shall be followed for scheduling and despatch of cross border trade of electricity transactions between India and the respective neighbouring country:
- (a) Scheduling of electricity shall be carried out between the buying entity and selling entity as per agreed quantum in the contracts.
- (b) Scheduling shall be carried out for each 15-minute time block or such other duration as may be notified subsequently.
- (c) Transmission System losses declared on weekly basis shall be borne in kind by the buying entity or the selling entity, as the case may be, as per the quantum declared by the concerned System Operator of India or the neighbouring country.
- (2) The selling entity or the buying entity, as the case may be, shall inform their requisitions to the Settlement Nodal Agency in accordance with the procedure specified as per Part 6 on Scheduling and Despatch Code of Grid Code.
- (3) Settlement Nodal Agency shall co-ordinate with System Operators of respective neighbouring countries for scheduling of cross border transactions and revisions during the day of operation.
- (4) In case of multiple participants having cross border transactions the net schedule at delivery point shall be arithmetic sum of individual schedules for each transaction.

26. Metering, Energy Accounting & Settlement

- (1) The Energy Accounting for all the electricity imported from a neighbouring country to India or exported from India to a neighbouring country shall be carried out on a net basis for each country by the concerned Regional Power Committee(s) (RPC(s)) in India.
- (2) The Settlement Nodal Agency shall be a member of the Regional Deviation Pool Account acting on behalf of the selling entity or buying entity of the neighbouring country. In case a neighbouring country is connected to more than one region of India, Settlement Nodal Agency shall be member of respective Regional Deviation pool.
- (3) The Settlement Nodal Agency shall pay or receive charges on account of deviation to or from Regional Deviation Pool maintained by NLDC as per Deviation Pool account issued by Regional Power Committee. The Settlement Nodal Agency shall settle the same with the selling entity or buying entity of the neighbouring country, as the case may be.

- (4) Reactive Energy Charges shall be paid by the Settlement Nodal Agency in accordance with Grid Code, and the said charges shall be collected from the selling entity or buying entity of the neighbouring countries, as the case may be.
- (5) Weekly meter readings (import or export in terms of MWh and MVArh) for actual injection or drawl by entities located in neighbouring country shall be provided to the concerned RLDC(s) or NLDC through Settlement Nodal Agency by Tuesday noon for the previous week so as to facilitate energy accounting.
- (6) The charges for deviation from schedule at the inter-connection point shall be as per the DSM Regulations in India. The segregation of charges within the neighbouring country shall be carried out by the agency designated by the concerned neighbouring country.
- (7) All payments shall be settled by the parties through the Settlement Nodal Agency as per timeline specified in the DSM Regulations.

27. Curtailment of Cross Border Electricity Trades in case of Contingency

- (1) When for the reasons of transmission constraints or in the interest of grid security, it becomes necessary to curtail power flow on a transmission corridor; the transactions already scheduled may be curtailed by the NLDC.
- (2) Subject to provisions of the Grid Code and any other regulations specified by the Commission, the short-term open access shall be curtailed first followed by the medium-term open access, which shall be followed by the long-term access.

Provided that amongst the grantees of access of a particular category, curtailment shall be carried out on pro-rata basis.

(3) In case of curtailment of the approved schedule by NLDC, transmission charges shall be payable on a pro-rata basis in accordance with the curtailed schedule.

Provided that operating charges shall not be revised in case of curtailment.

28. Event Information

- (1) Events like tripping of elements impacting the electricity flow across the Cross Border Transmission Link, complete or partial blackout or any other such incidents affecting the grid operations would be reported by the concerned System Operator of India to the System Operator of the neighbouring country and vice versa.
- (2) A written communication shall be exchanged between the respective System Operators covering the date and time of the event, location, plant or equipment affected and any other relevant detail (for example, Flags, disturbance recorder and sequence event recorder output) as may be necessary.

29. Coordination Between System Operators

The System Operator of India (NLDC) and its counterpart in the neighbouring country shall hold six-monthly operational coordination meetings to discuss various aspects associated with the operation of the cross border interconnection(s) including any protection and commercial related issues.

CHAPTER-5

PAYMENT OF CHARGES AND PAYMENT SECURITY MECHANISM

30. Payment of Transmission charges and other charges

- (1) PoC injection charges or PoC withdrawal charges for delivery of electricity at the pooling station within India shall be governed as per provisions of Sharing Regulations.
- (2) Settlement Nodal Agency shall put in place a suitable payment security mechanism for charges to be collected by it.
- (3) Taxes, cess, statutory duties and levies shall be payable by the Cross Border Customers as per the applicable laws of India.

31. Transmission Losses

In line with the provisions of Regulation 6.5 of Scheduling and Despatch Procedure of Grid Code and Regulation 6 on Application of losses while scheduling of contracts of the Procedure for sharing of ISTS losses, the transmission losses shall be shared as per the following methodology:

- (a) Withdrawal PoC losses as applicable shall be applied at the interface.
- (b) Injection PoC losses of respective injection grid shall be applied at the interface.
- (c) Net schedule at Indian end of the Cross Border Transmission Link shall be arrived at after applying injection PoC loss of the concerned injection zone and withdrawal PoC loss

32. System Operation Fees and Charges

- (1) On behalf of the entities in neighbouring countries, the Settlement Nodal Agency shall pay the Fees and Charges of the System Operator in India as per Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2009 or any subsequent enactment thereof.
- (2) Settlement Nodal Agency shall register itself as a user of concerned System Operator and shall pay the registration charges as per CERC Regulations.
- (3) Any selling entity or buying entity in India proposing to sell or buy electricity from or to the neighbouring country shall make payments to the Settlement Nodal Agency for fees & charges of System Operation in India.

33. Payment Security Mechanism for Transmission Charges

- (1) The Cross Border Customer shall be liable to establish payment security mechanism for payment of transmission charges and various grid related charges.
- (2) The Cross Border Customer shall establish payment security towards transmission charges and grid related charges at least ninety (90) days prior to the intimated date of commencement of Transmission Access which shall include the following for availing long-term access and medium-term open access:
 - (a) An irrevocable, unconditional and revolving Letter of Credit in favour of the Central Transmission Utility through a bank as specified in Regulation 35 equivalent to two point one(2.1) times the average monthly bill amount towards transmission charges with a validity of 1 year.
 - (b) An irrevocable, unconditional and revolving Letter of Credit in favour of the Settlement Nodal Agency of India through bank as specified in Regulation 35 equivalent to two point one (2.1) times the average monthly bill amount towards grid related charges with a validity of 1 year.
- (3) In case of default of payment of Transmission Charges and other Grid related charges, the Cross Border Customer shall be denied access to the Indian Grid till discharge of its dues.

CHAPTER-6

MISCELLANEOUS

34. Dispute Settlement and Resolution mechanism

- (1) The disputes in relation to the cross border trade of electricity within the Indian territory shall be settled as per the provisions of Electricity Act, 2003.
- (2) Disputes involving entities of separate countries may be resolved mutually by the participating entities within a period of 60 days from the date of raising of the dispute.
- (3) In case the dispute remains unresolved even after sixty (60) days from the date of raising of the dispute, the same shall be attempted to be mutually resolved at the Government level.
- (4) In case the dispute still remains unresolved, it shall be settled through the International Arbitration Centre as may be mutually acceptable to the parties to the dispute.

35. Bank details

Bank Guarantees, Letter of Credit or any other payment security or payment required to be provided under these regulations shall be furnished by the Applicant or the Cross Border Customer in Indian Rupees from a Nationalized Bank of India or from a bank in the concerned neighbouring country which shall be confirmed by a Nationalized Bank of India.

36. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

37. Power to issue directions

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of these regulations.

SANOJ KUMAR JHA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./44/19]